



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 262) पटना, सोमवार, 1 अप्रील 2013

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

26 मार्च 2013

एस0ओ0 193, दिनांक 1 अप्रील 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची I के क्रमांक 62 को उसकी अनुसारी प्रविष्टियों के साथ एतद् द्वारा तुरंत के प्रभाव से विलोपित करते हैं।

[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

26 मार्च 2013

एस0ओ0 194, एस0ओ0 193, दिनांक 1 अप्रील 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 26th March 2013

S.O. 193, dated 1st April 2013—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is hereby pleased to delete S.No-62 with its corresponding entries of Schedule I appended to the said Act with immediate effect.

[File No. Bikri Kar/Sansodhan-07/2013—1030(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-Cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

26 मार्च 2013

एस0ओ0 195, दिनांक 1 अप्रैल 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 24 दिनांक 24.03.2005 में निम्न संशोधन करते हैं, यथा:—

संशोधन

1. समय-समय पर यथा संशोधित विभागीय अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 24 दिनांक 24.03.2005 के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रमांक 7 के स्तम्भ 3 के वर्तमान प्रविष्टि "20%", प्रविष्टि "30%" द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

26 मार्च 2013

एस0ओ0 196, एस0ओ0 195, दिनांक 1 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-07/2013—1030(अनु0)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 26th March 2013

S.O. 195, dated 1st April 2013—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-Section (1) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the

Governor of Bihar is pleased to make the following amendment to Departmental Notifiatiion Number S.O. 24 dated 24.03.2005, as amended from time to time, namely:-

Amendment

1. The present entery “20%” of Column Number (3) of serial number 7 of Departmental Notifiatiion Number S.O. 24 dated 24.03.2005, as amended from time to time, shall be substituted by the entry “30%”
2. This notification shall come into force with effect from date of notification.

[File No. Bikri Kar/Sansodhan-07/2013—1030(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,

SUDHIR KUMAR,

Commissioner-Cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 262-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>